

मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

आदेश..

दिनांक 03.2016

क्रमांक /21-अ(रथा.), निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए अनुसार चतुर्थ वर्गीय सेवा में रेयूलर कंटिजेंसी के पद एवं स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 4440-7440+1300 ग्रेड-पे एवं समय-समय पर देय भत्तों पर आगामी आदेश होने तक अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर कार्यगार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

स.क.	नाम	पदनाम	संतर्ग	पदस्थापना
1.	श्री बृजेश कुमार यादव	चौकीदार	अ.पि.व.	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
2.	श्री विक्रम मैना	चौकीदार	अनुरूचित जाति	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
3.	श्री सोहन रजक	फर्माश	अनारक्षित	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
4.	श्री निर्मल कुमार अवरथी	फर्माश	अनारक्षित	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
5.	श्री मो. सलमान	पानीवाला	अनारक्षित	महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
6.	श्री अशोक कुमार गैतलाल	स्वीपर	अनारक्षित	अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
7.	श्री शरद वाल्मीकी	चौकीदार	अनारक्षित	महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
8.	श्री सद्दाम हुसैन	फर्माश	अ.पि.व.	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

शर्तः-

- वे भात के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे,
- म.प्र. सेविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा,
- म.प्र. शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अद्व्य स्थायी रोवा) नियम 1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक गाह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी,
- एक गाह का नोटिस दिए बिना या उराके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू-राजस्व की बकारा की भाँति उनसे वसूल की जाएगी,
- यदि इनके चरित्र के संबंध में कोई विपरीत टीका, आपराधिक गतिविधियों/प्रकरणों में लिप्त होने एवं नैतिक पतन संबंधी मामलों में संबद्ध होने की जनकारी प्राप्त होती है तो इनकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी,
- नियुक्त पद पर आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण किया जावे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा,

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के समय म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में समाविष्ट प्रावधानों का पालन किया गया है”।

हरेन्द्र सिंह

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल